



223

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म०प्र०

श्री राजनी वरिष्ठ
द्वारा अर्ज दि 6/6/16 को प्रस्तुत

हुकूम यादव तनय श्री रामबगस यादव, उम्र 30 साल

दिनांक 6-6-16 को
श्री गौरी रंजनी यादव
काश- 5001
पहाड़ी
6-6-16

निवासी- ग्राम पहाड़ीखुर्द, तहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र०

..... आवेदक.

// बनाम //

विनोद तनय स्व० श्री मोहन यादव,

निवासी- ग्राम सुनौरा खिरिया, तह० व जि० टीकमगढ़ म०प्र०

..... अनावेदक.

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

R.V.V.

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महो० जिला टीकमगढ़ म०प्र० के प्रकरण क्र०- /3/स्वमेव निगरानी/2014-15 पक्षकार- विनोद यादव - बनाम - हुकुम यादव, में पारित आदेश दिनांक- 24.05.2016 से दुखित होकर माननीय के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, आवेदक को ग्राम पहाड़ीखुर्द के अंतर्गत ग्राम सुनौरा खिरिया में 1.00 एकड़ भूमि का वंटन किया गया था, वंटन आदेश दि०-12.07.2001 का है जो एनेक्जर-1 है, पटवारी ने जो प्रतिवेदन तहसीलदार को दिया उसमें दिनांक- 10.5.2001 का तहसीलदारका आदेश लेख है जो एनेक्जर-2 है, आवेदक को खसरा नं. 187 के रकबा 0.405 हे० का वंटन किया गया है । दिनांक-10.5.2001 को किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया । उक्त वंटन भूमि आवेदक की भूमि से लगी हुई है जो खसरा नं. 187 जो वंटन की गई, उक्त दस्तावेज एने. 3 है एवं एने. 4 खसरा पांचसाला कम्प्यूटर द्वारा निकाला गया , एने. 5 दायरा पंजी है जिसमें दायरा पंजी के 27 नंबर पर आवेदक का नाम है, आवेदक की खण्डपुस्तिका एने. 6 है, वंटन भूमि जो प्राप्त हुई उसकी लगान का दस्तावेज एने 7 है, तहसीलदार

हुकुम यादव

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1809-एक/2016

जिला टीकमगढ़

हुकुम विरुद्ध विनोद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 3/स्व.निग./2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24-05-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 20/2/2019</p>